प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षाII) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - II), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.लेप-II/गो.कक्ष/ए पी ए आर/2021-22 No. Au-II/C.Cell/APAR/2021-22

दिनांक/Dated: 21.09.2022

परिपत्र/CIRCULAR No. 20

विषय:

स्पारो'(Smart Performance Appraisal Report recording Online Window) के माध्यम से वर्ष

2021-22 के लिए वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारीगण (वाणिज्यिक) से संबंधित वार्षिक

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के खुलासा करने के संबंध में

Sub:

Disclosing Annual Performance Appraisal Report (APAR) in respect of Senior

Audit Officers (Comml) for the year 2021-22 through SPARROW (Smart

Performance Appraisal Report Recording Online Window) reg.-

कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का.ज्ञा. सं. 21011/1/2005-Estt(A)(Pt-II) दि. 14.05.2009 के द्वारा जैसे कि अपेक्षित है,वाणिज्यिकसंवर्ग केवरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों से संबंधित यथोचित पूर्ण एपीएआर का खुलासा,सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को स्पारो के माध्यम से किया गया है ।

Duly completed APAR in respect of Senior Audit Officers of Commercial cadre have been disclosed to the officer concerned through SPARROW for information and necessary action as required vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) OM.No. 21011/1/2005-Estt(A)(Pt-II) dated 14.05.2009.

खुलासा की गयी एपीएआर संबंधित अधिकारी के स्पारा खाते के इन बॉक्स में उपलब्ध होगी। अधिकारियों द्वारा एपीएआर की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर या तो एपीएआर की ग्रेडिंग स्वीकृत की जाए या रिपोर्ट में दी गयी प्रविष्टियों तथा अंतिम ग्रेडिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया जाए। अभ्यावेदन,रिपोर्ट में अंतर्निहित विनिर्दिष्ट तथ्यात्मक टिप्पणियों तक सीमित हो जिसके संदर्भ में अधिकारी के सहज गुणों, कार्य निवेश आदि का मूल्यांकन किया जाएगा और ऑफलाइन विधि से प्रस्तुत किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया जाता तो यह समझा जाएगा कि आप को कोई अभ्यावेदन नहीं देना है और एपीएआर की प्रविष्टियों एवं समग्र ग्रेडिंग को अंतिम माना जाएगा।

The disclosed APAR will be available in the inbox of concerned officer's SPARROW account. The officers may either accept the APAR grading or make representation against the entries and the final grading given the Report, within a period of 15 days from the date of receipt of the APAR. The representation shall be restricted to the specific factual observations contained in the report leading to assessment of the Officer in terms of attributes, work output, etc and shall be submitted through offline mode. In case no representation is received within in 15 days, it shall be deemed that you have no representation to make and entries as well as overall grading in the APAR shall be treated as final.

प्रिक्तिकी २३/१/२०२२ वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I) Senior Deputy Accountant General (Admn & AMG-I)

सेवा में То

- 1. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers
- 2. सभी वरिष्ठ अधिकारीगण (वाणि.) / All Senior Audit Officers(C)
- 3. आईटी समर्थन कक्ष/ कार्यालय वेबसाईट / IT Support Cell/Official website
- 4. संबंधित स्कंध के वलेपअ (मुख्या.) द्वारा क्षेत्रीय दलों में तैनात अधिकारियों को सूचित किया जाना है / Officers posted in the field parties are to be informed by the Sr.AO(HQ) of respective wing
- 5 ਸ਼ੁਰਗਾਪੁਟ /Notice Board